भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3958

17.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पासपोर्ट हेतु पुलिस सत्यापन

3958. **श्री विनायक भाऊराव राऊतः**
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुलिस सत्यापन में लगने वाला औसत समय कितना है और सरकार का इसे किस स्तर तक कम करने का विचार है; और

(ख) सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(विदेश राज्य मंत्री)

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) नए पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) प्रस्तुत करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लिए जाने वाले औसत समय में निरंतर सुधार हो रहा है और 21 दिनों की वांछित समय-सीमा प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि 2013 में यह औसत समय 49 दिन था, मंत्रालय ने द्रुत गति से पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को पूर्ण करने में लगने वाले समय को कम करने हेतु कई उपाए किए जिनके परिणामस्वरूप जनवरी से जून 2019 की अवधि के दौरान इस प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय घटकर 18 दिन रह गया। वर्ष 2018 में यह औसत 19 दिन तथा वर्ष 2017 में 23 दिन था। यह पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए उठाए गए निम्नलिखित नवीन उपायों के कारण संभव हो पाया है।

(i). मंत्रालय ने जिला पुलिस मुख्यालय (डीपीएचक्यू) मॉडल के अंतर्गत आज की तारीख तक कुल 771 पुलिस जिलों में से 731 पुलिस जिलों को डिजिटल रूप से पासपोर्ट सेवा परियोजना से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है।

(ii). मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) को द्रुत गति से प्रस्तुत करने के लिए एम-पासपोर्ट पुलिस एप आरम्भ किया है। इस एप से फील्ड स्तर के सत्यापन अधिकारी पीवीआर को सीधे ही प्रणाली में डिजिटल तौर पर डाल पाएंगे। इस एप के आरम्भ होने से व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र और प्रश्नावली को डाउनलोड और प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी जिससे पुलिस सत्यापन प्रक्रिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना कागज़ी कार्रवाई के

डिजिटल माध्यम से चलती रहेगी और इससे पुलिस सत्यापन रिपोर्ट को पूरा करने में लगने वाले समय में भी कमी आएगी।

पासपोर्ट सेवा परियोजना संबंधित पुलिस थानों को पुलिस सत्यापन के लिए सीधे ही अनुरोध पहुंचाने में सक्षम है, जहां भी ऐसी अवसंरचना उपलब्ध है। मंत्रालय समय-समय पर सेमिनारों, आउटरीच कार्यकलापों के आयोजन के जरिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ पासपोर्ट कार्यालयों की सक्रिय भागीदारी से पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में गति लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

(ख) मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है और पासपोर्ट हेतु दस्तावेज़ जमा कराने के लिए अप्वाईंटमेंट लेने सहित पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। पासपोर्ट सेवा प्रणाली किसी भी स्थान से हर समय उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तकनीकी अवसंरचना स्थापित की गई है। पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) का उपयोग कोई भी व्यक्ति कहीं भी और किसी भी समय कर सकता है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर इसके भीतरी इलाकों में डिजिटल डिवाइड की चुनौतियों को सुलझाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड (जो इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रवर्तित है) के सहयोग से सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से पासपोर्ट आवेदनों को ऑनलाइन भरे जाने को सुविधाजनक बनाया है।

अब कोई भी आवेदक भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन पुलिस सत्यापन उसी थाने द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में प्रपत्र में उल्लिखित पता आता हो और पासपोर्ट भी उसी पते पर भेजा जाएगा।

दिनांक 26.06.2018 को शुरू की गई एम-पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप में पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, शुल्क का भुगतान करने तथा मिलने का समय निर्धारित करने की सुविधा है। यह एप एंड्रॉयड तथा आईओएस प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। यह पासपोर्ट संबंधी अन्य जानकारियाँ भी प्रदान करता है जिनमें पासपोर्ट सेवा केंद्रों के स्थान की जानकारी, लागू फीस, आवेदन जमा करने का तरीका और स्मार्ट फोन पर पासपोर्ट आवेदन की स्थिति का पता लगाने की सुविधा शामिल है। नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए कंप्यूटर तथा प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)/डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) में पासपोर्ट आवेदन जमा कराने के लिए ऑनलाइन अप्वाईंटमेंट सुनिश्चित करने को आसान बनाया गया है। वर्तमान व्यवस्था में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए अप्वाईंटमेंट निर्धारित/पुनर्निर्धारित करने के लिए आवेदकों को सबसे निकट उपलब्ध पांच तारीखों (कार्य दिवस) में से कोई एक अप्वाईंटमेंट तारीख चुनने का विकल्प होता है। पहले पासपोर्ट संबंधी सेवाओं हेतु अप्वाईंटमेंट प्राप्त करने की प्रणाली में आवेदक को केवल एक ही तारीख उपलब्ध कराई जाती थी।

वर्ष 2017 में डाक विभाग के साथ सहयोग में देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (पीओपीएसके) खोलने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 11 जुलाई, 2019 तक देश में 505 'पासपोर्ट केंद्र' कार्य कर रहे हैं।

नागरिकों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना आसान बनाने के लिए पासपोर्ट नियमों को भी सरल बनाया गया है। यह अनुबंध-I में दिया गया है।

पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल, उदार और आसान बनाने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नीति के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। उठाए गए इन कदमों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(क) जन्म तिथि के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़

पासपोर्ट नियमावली, 1980 के मौजूदा सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 26.01.1989 को अथवा उसके बाद जन्मे सभी आवेदकों को अब तक अनिवार्यतः जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र जमा करना पड़ता था। अब यह निर्णय लिया गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने वाले सभी आवेदक पासपोर्ट आवेदन जमा करते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा कर सकते हैं:

(i) भारत में जन्मे किसी बच्चे के जन्म को पंजीकृत करने हेतु जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार अथवा नगर निगम अथवा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकार प्राप्त किसी अन्य निर्धारित प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र (बीसी);

(ii) अंतिम स्कूल/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण/स्कूल परित्याग/मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(iIi) आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(iV) आधार कार्ड/ई-आधार जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(v) आवेदक के सर्विस रिकार्ड (केवल सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) अथवा पे पेंशन आर्डर (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के संबंध में) के कुछ हिस्से की प्रति जिसे आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित/प्रमाणित किया गया हो तथा जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(vI) संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाईसेंस जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(vIi) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जिस पर आवेदक की जन्मतिथि अंकित हो;

(vIii) सार्वजनिक जीवन बीमा कॉरपोरेशन/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉड जिस पर बीमा पॉलिसीधारक की जन्मतिथि अंकित हो;

अन्य फेरबदल:

(I) अब से ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पर आवेदक द्वारा केवल पिता अथवा माता अथवा कानूनी अभिभावक का नाम लिखना अपेक्षित है अर्थात केवल माता या पिता न कि दोनों का नाम लिखना। इससे एकल माता-पिता के

लिए अपने बच्चों हेतु पासपोर्ट के लिए आवेदन करना संभव हो सकेगा और साथ ही ऐसे पासपोर्ट भी जारी करना संभव हो सकेगा जहां आवेदक के अनुरोध पर या तो पिता अथवा माता का नाम लिखना अपेक्षित नहीं है।

(II) पासपोर्ट नियमावली, 1980 में निर्धारित कुल अनुबंधों की संख्या को 15 से कम करके 9 कर दिया गया है। अनुबंध क, ग, घ, ड., ञ, तथा ट को हटा दिया गया है और कुछ अनुबंधों का विलय कर दिया गया है।

(III) आवेदकों द्वारा अपेक्षित सभी अनुबंध सादे कागज पर स्वघोषणा के रूप में देना अपेक्षित होगा। अब से किसी भी नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकन/ उनके समक्ष शपथ लेना अपेक्षित नहीं होगा।

(IV) विवाहित आवेदकों को पुराना अनुबंध ट अथवा कोई विवाह प्रमाण-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा।

(V) अलग हुए अथवा तलाकशुदा व्यक्तियों के मामले में पासपोर्ट आवेदन फार्म पर पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना आपेक्षित नहीं होगा। ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट के लिए तलाक आदेश प्रस्तुत करना भी आपेक्षित नहीं होगा।

(VI) विवाहेतर जन्मे बच्चों के मामले में, आवेदक को ऐसे बच्चों के पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु, पासपोर्ट आवेदन करते समय केवल वर्तमान अनुबंध ग प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(VII) देश में घरेलू स्तर पर गोद लिए गए बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने के मामले में गोद लेने संबंधी पंजीकृत विलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के विलेख न होने की स्थिति में पासपोर्ट आवेदक गोद लेने की पुष्टि करने के बाबत सादे कागज पर स्वघोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

(VIII)सरकारी कर्मचारी जो अपने संबंधित नियोक्ता से पहचान प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध क)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र (वर्तमान अनुबंध छ) नहीं प्राप्त कर सका हो और वे तत्काल आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हों, तो अब वर्तमान अनुबंध-ञ में इस बाबत एक स्वघोषणा प्रस्तुत करते हुए पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि उन्होंने अपने नियोक्ता को इस बाबत पूर्व सूचना दे दी है कि वह पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी को सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहा है।

(IX) साधु/संन्यासी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अपने माता-पिता के नाम के स्थान पर अपने आध्यात्मिक गुरु का नाम लिखना होगा, बशर्ते भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचानपत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि जैसे कम-से-कम एक सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए जिनमें उनके माता-पिता के नाम के स्थान पर उनके गुरु का नाम दर्ज हो।

(X) अनाथ बच्चे जिनके पास जन्मतिथि का कोई सबूत न हो जैसे जन्म प्रमाण-पत्र अथवा मेट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र अथवा घोषणात्मक न्यायालय आदेश न हो, वे उस अनाथालय/शिशु देखभाल केंद्र के प्रमुख द्वारा संगठन के शासकीय लेटर हेड पर आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि कराके घोषणा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

(XI) पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को पासपोर्ट आवेदन जमा कराते समय जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में उपर्युक्त (क) में उल्लिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कराना होगा। दस्तावेज में उल्लिखित जन्मतिथि पासपोर्ट में दर्ज हो जाएगी। यदि पासपोर्ट में पूर्व में दर्ज जन्मतिथि और आवेदक द्वारा जन्मतिथि के नए प्रमाण में भिन्नता होती है तो पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी (पीआईए) दावे की सत्यता सिद्ध करने के लिए

जन्मतिथि में परिवर्तन की मांग कर रहे प्रत्येक आवेदक (चाहे पासपोर्ट जारी होने की अवधि कितनी भी हो गई हो) के स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकृत है और यदि पीआईए आवेदक के दावे तथा उस दावे के समर्थन में जमा किए गए दस्तावेजों से संतुष्ट होता है तो पीआईए आवेदक द्वारा संशोधित जन्मतिथि के साथ पासपोर्ट जारी करने के ऐसे सभी अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।

(XII) अब किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदान कराए बिना भी 'तत्काल' योजना के तहत पासपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि पूर्व में यह आवश्यक था। आवेदक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कम से कम तीन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं:

क. आधार कार्ड/ई-आधार जिसमें 12 अंकों वाली आधार संख्या हो/ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी आधार नामांकन पर्ची जिस पर 28 अंकों वाली आधार नामांकन आईडी छपी हो।

ख. मतदाता फोटो पहचान कार्ड (ईपीआईसी)

ग. राज्य अथवा केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा फोटो पहचान पत्र

घ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र

ङ शस्त्र लाइसेंस

च. पेंशन दस्तावेज़ जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका अथवा पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित प्रमाणपत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश

छ. अपना पासपोर्ट (रद्द न किया हुआ तथा जो क्षतिग्रस्त न हो)

ज. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

झ. बैंक/किसान/डाकघर पासबुक

ञ. किसी शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी छात्र फोटो पहचानपत्र

ट. ड्राइविंग लाइसेंस (वैध तथा जो उस राज्य के क्षेत्राधिकार में हो जहाँ आवेदक ने आवेदन जमा कराया है);

ठ. जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत जारी जन्म प्रमाणपत्र; और

ड. राशन कार्ड

अब पैरा-xii में उल्लिखित तीन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने पर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए सामान्य योजना के तहत बिना बारी के पश्च पुलिस सत्यापन आधार पर भी पासपोर्ट प्राप्त किए जा सकते हैं।

****